कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-110/2016-17/

दिनांक : /05/2017

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी

नैनीताल

विषय : जिला पंचायत राज अधिकारी नैनीताल का वर्ष 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में 03 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम परिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. परिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 110/2016-17/ दिनांक : /05/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखंड, नैनीताल

2- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल

3- जिला विकास अधिकारी, नैनीताल

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल पर प्रारुप निरीक्षण प्रतिवेदन।

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतीराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री.....

श्री अतुल प्रताप सिंह- जि.प.रा.अ.

श्री.....

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

अपर मुख्य अधिकारी

(1) श्री सतेन्द्र कुमार, व.ले.प.अ.

(2) श्री हिमांशु शर्मा, स.ले.प.अ.

(3) श्री मनोहर सिंह,ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 21/03/2017 से 28/03/2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 02/2016 से 02/2017 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

पंचायतीराज संस्था का नाम : **जिला पंचायतराज अधिकारी, नैनीताल**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों की संख्या:- 511

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः - ----

भौगोलिक क्षेत्र : - --

जनसंख्या :

1- निर्वाचित सदस्यों की संख्या :

2- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः -

3- (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

4- बैठक :-

5- कर्मचारियों की संख्या : 81

6- पंचायतीराज की सम्पतियां : -

7- पंचायतीराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनाये: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : बजट के अनुसार

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है। -

भाग -4-(अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायतराज अधिकारी, नैनीताल** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2016-17 तक की सम्प्रेक्षा **श्री सतेन्द्र कुमार स.ले.प.अ**, **श्री हिमांशु शर्मा, स.ले.प.अ., तथा श्री मनोहर सिंह, लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक 21.03.2017 से 28.03.2017 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- -

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग-4(ब)-2**	**STAN**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर			
113/2015-16	-	2	

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	-	
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची	-	
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख	-	

भाग 4 ब-2

प्रस्तर-1 ` 4.49 लाख की धनराशि का 24 माह से बैंक खातों मे निष्क्रिय पड़े रहना।

ग्राम पंचायतो को आवंटित धनराशि को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाना चाहिये जिससे ग्राम पंचायत आवंटित धनराशि का उपयोग कर समय से उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित समय पर उपलब्ध करा सकें।

कार्यालय के आय-व्यय विवरण की जाँच मे पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से निम्न धनराशि निष्क्रिय

क्रम संख्या	मद का नाम	धनराशि	निष्क्रिय पडे रहने की अवधि
1.	राज्य वित्त आयोग	311000/-	24 माह
2.	13 वाँ वित्त	138000/-	24 माह
	योग	**449000/-**	

इसे इंगित किये जाने पर इकाई के द्वारा बताया गया कि धनराशि दो ग्राम पंचायतो का विलय नगर निगम, हल्द्वानी मे हो जाने के कारण अवशेष है धनराशि को शासकीय खाते मे जमा करा दिया जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 4 ब-2

प्रस्तरः-2 "` 3077.65 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्राप्त रहना"।

राज्य वित्त आयोग योजना एवं 14 वाँ वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत जारी धनराशि में यह शर्त दी गयी थी कि निर्गत राशि का प्रयोग उन्हीं कार्यों/योजनाओं में किया जाये जिसके लिये धनराशि आवंटित की जा रही है, तथा निर्धारित तिथि तक कार्य हेतु आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिये जायें। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी राशि तथा अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने में निर्धारित तिथियों/ समयावधि का अनुपालन नहीं किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी धनराशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने की अपेक्षित तिथि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित की जाने की तिथि
1.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (क्षेत्र पंचायत अंश)	114.08	31.07.2016	अप्राप्त (मार्च 2017 तक)
		154.35	31.03.2017	अप्राप्त (मार्च 2017 तक)
2.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (ग्राम पंचायत अंश)	300.07	31.07.2016	अप्राप्त (मार्च 2017 तक)
		405.83	31.03.2017	अप्राप्त (मार्च 2017 तक)
3.	14 वाँ वित्त आयोग	1051.66	30.09.2016	अप्राप्त (मार्च 2017 तक)
		1051.66	31.03.2017	अप्राप्त (मार्च 2017 तक)
योग		3077.65		

इकाई की लेखा परीक्षा (मार्च 2017) में देखा गया कि ` 3077.65 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग 4 ब-2</u>

प्रस्तरः-3 वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह फरवरी 2017 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 1717949.50 राजकोष में जमा न कर इकाई के खातों में लंबित पड़ी रहना।

उत्तराखण्ड शासन पत्रांक संख्या 347/वि.आ. निदे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवम उस पर ब्याज के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिये।

जिला पंचायतराज अधिकारी, नैनीताल के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह फरवरी 2017 तक विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रुप में ` 17,17,949.50 की धनराशि प्राप्त हई है जो कि लेखापरीक्षा की तिथि तक इकाई के खाते में लंबित पड़ी है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त शासनादेश की जानकारी के आभाव में ब्याज की धनराशि इकाई के खाते में लंबित पड़ी है। यथाशीघ्र ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 17,17,949.50 इकाई के खाते में लंबित पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **जिला पंचायतराज अधिकारी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार / स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,C-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीयनिकाय